उत्तराखंड के उच्च न्यायालय, नैनीताल में

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2210 एवं 2020

बीएफआईटी तकनीकी परिसर..... याचिकाकर्ता

बनाम्

उत्तराखंड राज्य

और अन्य .....**प्रतिवादी**

उपस्थितः

श्री आदित्य सिंह, याचिकाकर्ता के वकील।

श्री नारायण दत्त, राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

श्री भूपेश कांडपाल, प्रतिवादी संख्या. 3 के वकील।

श्री योगेश कुमार, प्रतिवादी संख्या. 4 के वकील।

निर्णय

रविन्द्र मैठाणी, जे. (मौखिक)

याचिकाकर्ता एक संस्था है, जो संचालन करती है, विभिन्न तकनीकी पाठक्रम। यह अर्थात् एक समाज के अंतर्गत है केंटन शैक्षिक और सांस्कृतिक समाज। इसके बाद याचिकाकर्ता कॉलेज के रूप में जाना जाता है, कॉलेज चाहता है द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.11.2020 को रद्द किया जा रहा है उत्तराखंड राज्य, जिसके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता कॉलेज को संबद्धता देने से इन्कार कर दिया गया था। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) याचिकाकर्ता कॉलेज भी चाहता है से संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया विश्वविद्यालय,

2. याचिकाकर्ता कॉलेज का मामला यह है कि वह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल से मंजूरी मांगी पाठक्रमों को उन्नत करने के लिए शिक्षा, (संक्षेप में 'एआईसीटीई')

डिप्लोमा से इंजीनियरिंग तक, सब पर विचार करने के बाद कारकों, एआईसीटीई ने मंजूरी दे दी। वस्तुतः यह विस्तार है शैक्षणिक वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदन की।

याचिकाकर्ता कॉलेज को से संबद्ध होना आवश्यक था। विश्वविद्यालय आवेदन किये जाने पर, दिनांक 20.01.2020 को प्रतिवादी संख्या–1 उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। बदले में, विश्वविद्यालय ने दिनांक 07.02.2020 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया प्रतिवादी संख्या –1 को प्रदान करने की अनुशंसा की जा रही है। आपत्ति प्रमाण पत्र ('एनओसी'), लेकिन, आक्षेपित आदेश द्वारा दिनांक 13.11.2013, उत्तराखंड राज्य ने मना कर दिया। इस आधार पर एनओसी दें कि धारा 420 के तहत एफ0आई0आर0 के खिलाफ 409, 467, 468 और 471 आई.पी.सी. दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता कॉलेज, जो छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित है।यह आदेश विवादित है।

3. राज्य ने अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है, में जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ. 6 में कहा गया है कि राज्य सरकार को एनओसी देने या अस्वीकार करने का अधिकार है।राज्य सरकार ने एनओसी देने से इनकार कर दिया है।

4. पक्षों के विद्वान वकील को सुना। रिकार्ड का अवलोकन किया।

5. याचिकाकर्ता कॉलेज के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेगा कि इस मामले में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। याचिकाकर्ता कॉलेज की विश्वविद्यालय से संबद्धता, यह है प्रस्तुत किया कि एक बार एआईसीटीई ने पाठक्रमों को मंजूरी दे दी है, के साथ संबद्धता अस्वीकार करने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। विश्वविद्यालय की धारा 10 का संदर्भ दिया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (के लिए,'संक्षिप्त अधिनियम')

6. वाद, विवाद के दौरान यह भी होता है प्रस्तुत किया कि, वास्तव में, एआईसीटीई ने इसे और बढ़ा दिया है दिनांक 25.06.2021 को शैक्षणिक वर्ष 2021–22 के लिए अनुमोदन।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश को अस्वीकार कर दिया

गया है विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए एनओसी का कोई महत्व नहीं है कानून की नजर, अतः यह निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अपने तर्क के समर्थन में सीखा याचिकाकर्ता कॉलेज के वकील ने भी भरोसा जताया है। कानून के सिद्धांतों पर, जैसा कि जया के मामले में निर्धारित किया गया था गोकुल एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम् आयुक्त एवं सचिव शासन, उच्च शिक्षा विभाग, तिरुवनंतपुरम, केरल राज्य और अन्य, (2000) 5 एससीसी 231 वास्तव में, जया गोकुल (सुप्रिया) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्रश्न पूछे निर्णय के पैराग्राफ 8 पर विचार, जो इस प्रकार है

यहाँ के अंतर्गत,

''8. निम्नलिखित बिंदु विचार हेतु उपस्थित होते हैं :

(1) क्या इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु राज्य और अन्य बनाम् अधियामन में शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान एवं अन्य, (1995) 4 एससीसी 104, एआईसीटीई अधिनियम, 1987 के प्रावधान मैदान पर कब्ज़ा कर लिया और ऐसा करना ज़रूरी नहीं था। सरकार की आगे की मंजूरी प्राप्त करें या अन्य प्राधिकारी? क्या राज्य में कोई क़ानून है केरल को यदि ऐसी मंजूरी की आवश्यकता होगी, तो होगी खालीपन?

(2) क्या अस्वीकृति के आदेश पारित किये गये राज्य सरकारें योग्यता के आधार पर वैध थीं और क्या विश्वविद्यालय को आगे की अनुमति देनी चाहिए थी के आधार पर ही सम्बद्धता जारी रखने का आदेश दिया एआईसीटीई की अनुमति का ?''

8. अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा की और एआईसीटीई द्वारा बनाया गया विनियमन दिनांक 31.10.1994, माननीय उच्चतम् न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है की मंजूरी प्राप्त करने के लिए वैधानिक आवश्यकता राज्य सरकार और अगर कोई होगी भी तो करेगी अधिनियम के प्रतिकूल रहे हैं. के पैराग्राफ 23 में

निर्णय, माननीय न्यायालय ने निष्कर्ष दिया है, जो इस प्रकार हैः–

''23. इस प्रकार, वर्तमान मामले में हम मानते हैं कि वहाँ प्राप्त करने के लिए कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं थीराज्य सरकार की मंजूरी और अगर वहाँ भी

एक होता, तो यह प्रतिकूल होता एआईसीटीई अधिनियम, विश्वविद्यालय परिनियम 9 (7) मात्र राज्य सरकार के 'विचार' की आवश्यकता है संबद्धता प्रदान करने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए और ऐसा किया गया ''अनुमोदन'' प्राप्त करने के बराबर नहीं, यदि विश्वविद्यालय के क़ानून को ''अनुमोदन'' की आवश्यकता है, ऐसा होगा एआईसीटीई अधिनियम के प्रतिकूल रहे हैं। बिंदु 1 है तदनुसार निर्णय लिया गया।"

9. पर दूसरी ओर विद्वान राज्य परामर्शदाता यह प्रस्तुत करेगा कि के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता कॉलेज इसलिए सभी पर विचार करने के बाद प्रशासंगिक कारकों के कारण, एनओसी को उचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है।

10. प्रतिवादी संख्या 3 के लिए विद्वान वकील विश्वविद्यालय वास्तव में उसे अंतिम रूप से प्रस्तुत करेगा। किसी भी मामले में प्राधिकरण एआईसीटीई है अंतर यह है कि एआईसीटीई को ही अंतिम निर्णय लेना है फैसला।

11. यह न्यायालय, सुनवाई के दौरान, ने राज्य सरकार से दो सवाल पूछे हैं, जो दिनांक 30.09.2021 के आदेश में सम्मिलित किया गया है। यह इस प्रकार है यहाँ के अंतर्गतः

"(i) क्या उत्तराखंड राज्य ने इनकार किया है ऐसे अन्य कॉलेजों, संस्थानों को एनओसी/संबद्धता, छात्रवृत्ति घोटाले में कौन–कौन शामिल थे? और/या,

(ii) क्या उत्तराखंड राज्य ने निरस्त कर दिया है ऐसे महाविद्यालयों की एनओसी/संबद्धता, जो थी छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल?

12. आज जब न्यायालय ने अनुरोध किया तो सीखा राज्य के वकील को यह बताना होगा कि उनका रुख क्या है सरकार ने उन दो सवालों पर राज्य से सीख ली वकील प्रस्तुत करेंगे कि (i) राज्य सरकार ऐसा करती है जिन संस्थानों को एनओसी दी गई थी, उनकी सूची नहीं रखी गई और (ii) यहां तक कि राज्य सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं है किस–किस कॉलेज के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है छात्रवृत्ति घोटाला.

13. प्रश्नों का उत्तर देते समय, राज्य सीखा वकील ने भी आक्षेपित आदेश पढ़ना शुरू कर दिया, विशेष रूप से अनुच्छेद 3ए जो संयोगवश इसे दर्ज करता है याचिकाकर्ता कॉलेज का नाम सूची में उल्लेखित है। छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल कॉलेजों की, यह इसका तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार के पास इसकी सूची है। छात्रवृत्ति घोटाले में शामिल कॉलेज न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है विद्वान राज्य परामर्शदाता, न्यायालय इसे उस पर छोड़ देता है।

14. विद्वान राज्य परामर्शदाता को संदर्भित किया गया उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय विनियम, 2018 उल्लेख है कि संबद्धता से पहले राज्य से एनओसी आवश्यक है विश्वविद्यालय के साथ ।

15. तकनीकी पाठक्रम चलाने की मंजूरी दी गयी अधिनियम के तहत एआईसीटीई द्वारा, अधिनियम की धारा 10(k) अनुमोदन के संबंध में प्रावधान करता है, जो इस प्रकार है। यहाँ के अंतर्गत,

> **"10. परिषद् के कार्यण्कृयह होंगे**– ऐसे सभी कदम उठाना परिषद का कर्तव्य है समन्वित और एकीकृत सुनिश्चित करने के लिए सोचें तकनीकी शिक्षा का विकास एवं मानकों के रखरखाव और प्रयोजनों के लिए परिषद इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निष्पादन कर रही है मई–
>
> .....
>
> .....
>
> (के) नई तकनीकी शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान करें। संस्थानों और नए पाठक्रमों की शुरूआत के लिए या एजेंसियों के परामर्श से कार्यक्रम संबंधित :
>
> .....
>
> .....

16. उपरोक्त की उपधारा (के) से पता चलता है कि अनुमोदन एआईसीटीई द्वारा परामर्श से प्रदान किया जा सकता है संबंधित एजेंसियों के साथ ।

17. वास्तव में, जया गोकुल (सुप्रिया) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रावधान की व्याख्या की एआईसीटीई द्वारा दिनांक 30.10.1994 को नियम बनाए गए

अनुच्छेद 13 और 14 में उन पर व्यापक चर्चा की गई है। विनियम, आज जो नियम लागू हैं, क्या नियम 04.02.2020 को अधिसूचित हैं, यह स्वीकार किया जाता है पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अलग इससे, वे प्रावधान जो अनुदान को नियन्त्रित करते हैं अनुमोदन आदि को अनुमोदन प्रक्रिया में शामिल किया गया है हैंडबुक, 2020–21, 2020 के नियमों में क्रमानुसार संख्या 4.9 ए और डी में यह दर्ज है कि प्रक्रिया इस प्रकार है अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका में निर्दिष्ट किया जाएगा लागू।

18. एआईसीटीई के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार की राय ली गई है। अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका, 2020 का खंड 1.4.7 21. यह इस प्रकार हैः–

"1.4.7 राज्य सरकार/ केन्द्रशासित प्रदेश के विचार और संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड

a. राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र और संबद्ध विश्वविद्यालय/ /बोर्ड करेगा आवेदन पर अपने विचार अग्रेषित करें। उनके द्वारा संबंधित को प्राप्त किया गया एआईसीटीई का क्षेत्रीय कार्यालय बाद में नहीं अंतिम तिथि से एक सप्ताह से अधिक प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवेदन /एआईसीटीई वेब पोर्टल ।

b. के विचारों (यदि कोई हो) के आधार पर राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र और के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड नई तकनीकी की स्थापना संस्था, क्षेत्रीय समिति के बारे में निर्णय लेंगे आवेदन पर कार्रवाई करना या अस्वीकार करना जो उसी, यदि आवेदन नहीं है आगे की

प्रक्रियाएं, टीईआर शुल्क 0.5 लाख (रुपये) की कटौती के बाद (केवल पचास हजार) वापस कर दिया जाएगा आवेदक को।

c. विचार प्राप्ति के अभाव में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से/ संबद्ध विश्वविद्यालय/बोर्ड पर निर्धारित सीमा के अंदर आवेदन करें समय, परिषद आगे बढ़ेगी आगे की प्रक्रिया।"

19. दो प्रश्न विचारार्थ हैं। वे सवाल यह है कि क्या एआईसीटीई ने उनके विचार प्राप्त किए थे के लिए मंजूरी के विस्तार से पहले राज्य सरकार शैक्षणिक वर्ष 2020–21 और शैक्षणिक वर्ष 2021–22 और

(ii) क्या राज्य सरकार ने इससे अवगत कराया था एआईसीटीई को देखें।

20. विद्वान राज्य वकील के पास इसका कोई उत्तर नहीं है क्या एआईसीटीई द्वारा विचार प्राप्त किए गए थे, सीखा वकील याचिकाकर्ता कॉलेज यह प्रस्तुत करेगा कि वे इस तरह के संचार के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती थी इसलिए वह इस बारे में बताने की स्थिति में नहीं हैं। सीखा एआईसीटीई के वकील ने भी इस पर अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की यह विषय।

21. यह न्यायालय इससे उद्धृत करना चाह सकता है जया गोकुल (सुप्रिया) के मामले में निर्णय, जहां, में पैराग्राफ 22, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'जैसा' देखा टी.एन. में बताया गया मामले में पर्याप्त प्रावधान थे की परिषद् द्वारा परामर्श हेतु केन्द्रीय अधिनियम में राज्य सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ एआईसीटीई सरकारों और विश्वविद्यालयों का संबंध है।' इसका मतलब है कि धारा के तहत उल्लिखित एजेंसियां अधिनियम के 10(k) में राज्य सरकार भी शामिल है। राज्य सरकार के विचार प्राप्त

किये जाने हैं। अनुमोदन के लिए आवेदन पर विचार करने से पहले एआईसीटीई, में जया गोकुल के मामले (सुप्रिया) का दृश्य, अधिनियम है राज्य की किसी भी आवश्यकता पर केन्द्रीय अधिनियम को प्राथमिकता दी जाती है कार्यवाही करना। इस मसले पर फैसला एआईसीटीई का होगा अंतिम। चूँकि, न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई सामग्री नहीं है क्या राज्य के विचार से अवगत करा दिया गया है एआईसीटीई या नहीं, इस न्यायालय का मानना है कि आक्षेपित आदेश को एआईसीटीई द्वारा विचार के रूप में माना जा सकता है राज्य सरकार द्वारा व्यक्त किया गया और उसके बाद, एआईसीटीई इसकी मंजूरी के संबंध में निर्णय ले सकती है। पाठक्रम, जैसा कि याचिकाकर्ता कॉलेज द्वारा लागू किया गया है।

22. एआईसीटीई के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे की अवधि के भीतर ऐसा निर्णय लिया जाएगा 15 दिन।

23. के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, कहने की आवश्यकता नहीं है कानून, जैसा कि एक बार जया गोकुल (सुप्रिया) के मामले में निर्धारित किया गया था एआईसीटीई मंजूरी देती है, विश्वविद्यालय नहीं देगा उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार से एनओसी की आवश्यकता है संबद्धता का।

24. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका है निम्नलिखित निर्देशों के साथ निस्तारण किया जाए,

(i) प्रतिवादी संख्या 4 ने एआईसीटीई के माध्यम से चेयरमैन कॉलेज का हुए अनुमोदन इस पर नये सिरे से निर्णय लेंगे। याचिकाकर्ता आवेदन बेशक, के विचारों को ध्यान में रखते जैसा कि उत्तराखंड राज्य में निहित है

आक्षेपित आदेश दिनांक 13.11.2020 (रिट याचिका का अनुलग्नक-3) 15 दिन के अंदर लिया जाएगा फैसला।

(ii) मामले मेंए एआईसीटीई सभी की जांच करने के बाद के विचारों सहित प्रशासगिंक सामग्री राज्य सरकार ने फिर दी मंजूरी और याचिकाकर्ता कॉलेज उसके बाद फिर से संबद्धता के लिए विश्वविद्यालय से संपर्क करता है विश्वविद्यालय आवेदन पर विचार करेगा पैराग्राफ में किए गए अवलोकन का दृश्य इस फैसले के 23.

(रविन्द्र मैठाणी जे.)

उजाला 01.10.2021